



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225932
CG-DL-E-16032021-225932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1130]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 15, 2021/फाल्गुन 24, 1942

No. 1130]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 15, 2021/PHALGUNA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

का.आ. 1218(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उपविभागीय कार्यालय दापोली (NH965DD) के कि.मी. 0 से 49.5 महाराष्ट्र राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH965DD पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपविभागीय अधिकारी दपोली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH965DD के कि.मी. 0 से 49.5 तक	महाराष्ट्र	रत्नागिरी	मंडनगड	1 अडखलवन

[फा. सं. RW/NH-12014/154/2017-MAH-Zone IV]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2021

S.O. 1218(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0 to 49.5 of SDO office Dapoli (NH965DD) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH965DD in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Officer Dapoli	0KM To 49.5KM	MAHARASHTRA	RATNAGIRI	Mandangad	1 Adkhalvan

[F. No. RW/NH-12014/154/2017-MAH-Zone IV]

RAJESH GUPTA, Director